रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 135] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 28, 2011/आषाढ़ 7, 1933
No. 135] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 28, 2011/ASADHA 7, 1933

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2011

सं. एफ. 28-11/2011-ईई-10.—राष्ट्रसंत टीएमएस और एसबीबीएमसीए विद्यालय और अन्य बनाम गंगाधर नीलकंठ शिंदे और अन्य के मामले में, एसएलपी (सी) सं. 4247 एवं 4248/2011 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के 13 मई, 2011 के आदेशों के अनुसरण में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री जे. एस. वर्मा की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग गठित किया गया है ।

2. पूर्वोक्त आयोग का गठन निम्न प्रकार से किया गया है :

(i) माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जे. एस. वर्मा, भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति—अध्यक्ष

(ii) प्रो. गोवर्धन मेहता—सदस्य

(iii) प्रो. एम. आनंदकृष्णन, अध्यक्ष, आईआईटी कानपुर —सदस्य

(iv) प्रो. आर. गोविंदा, कुलपति, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय और निदेशक (प्रभारी), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् —सदस्य

(v) प्रो. मृणाल मिरी, पूर्व कुलपति, उत्तर पूर्व पर्वतीय विश्वविद्यालय—सदस्य

(vi) प्रो. ए. के. शर्मा, पूर्व निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्—सदस्य

(vii) प्रो. पूनम बत्रा, संकाय शिक्षा, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय—सदस्य

(viii) श्री एस. सत्यम, पूर्व सचिव, भारत सरकार—सदस्य

(ix) श्री विक्रम सहाय, निदेशक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार—सदस्य सचिव

3. आयोग की संदर्भ शर्तें यथा निम्न प्रकार हैं :—

(क) क्या निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के उपबंधों के प्रसंग में विभिन्न अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए स्वीकृत मानदंडों और क्रियाविधि पर विनियम, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा अंगीकार किए जाते हैं, पर्याप्त हैं अथवा उनके पुनरीक्षण की आवश्यकता है;

(ख) क्या अध्यापक प्रशिक्षण और सेवाकालीन प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधारने के लिए और सुधार आवश्यक हैं;

(ग) यह पुनरीक्षण करना कि क्या स्वीकृत मानदंडों और क्रियाविधि पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा यथानिर्धारित इस समय लागू विनियम उचित रूप से लागू किए जा रहे हैं । यदि नहीं, तब एक उचित एवं पारदर्शी उपायतंत्र विकसित करना जिसमें इन मानदंडों और मानकों को लागू किया जा सके;

(घ) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की क्षेत्रीय समिति के सदस्यों की नियुक्ति के वर्तमान व्यवहार का पुनरीक्षण करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाने हेतु कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् में नियुक्ति के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किया जाता है जिससे कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अपनी निर्णायक भूमिका प्रभावी रूप से अदा कर सके;

(ङ) अध्यापक के निष्पादन और अध्यापकों की लेखापरीक्षा का मूल्यांकन करने के लिए मानक एवं मानदंड विकसित करना;

(च) यह पुनरीक्षण करना कि क्या संस्थाओं की मान्यता वापस लेने को सशक्त करने वाले वर्तमान उपबंध यथेष्ट हैं;

(छ) अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं में गुणवत्ता की जांच करने/लागू करने के लिए प्रणाली निर्धारित करना;

(ज) यह पुनरीक्षण करना कि क्या पश्चिमी क्षेत्र में 291 संस्थाएं अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं के रूप में मान्यता दिए जाने के योग्य हैं ।

4. आयोग इस अधिसूचना की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

5. आयोग की सहायता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् और स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाएगी ।

डॉ. अमरजीत सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2011

No. F. 28-11/2011-EE-10.—In pursuance of the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated the 13th May, 2011 in the SLP (C) Nos. 4247 and 4248/2011 in the case of Rashtrasant T.M.S. and S.B.B.M.C.A. Vidyalaya and Ors. *versus* Gangadhar Neelkanth Shinde and Ors., a High Powered Commission under the Chairmanship of Hon'ble Justice (Retd.) J. S. Verma, former Chief Justice of India is constituted.

2. The composition of the aforesaid Commission is as under :—

(i) Hon'ble Justice (Retd.) J. S. Verma, former Chief Justice of India—Chairman

(ii) Prof. Govardhan Mehta—Member

(iii) Prof. M. Anandakrishnan, Chairman, IIT, Kanpur—Member

(iv) Prof. R. Govinda, Vice-Chancellor, National University of Educational Planning and Administration (NEUPA) and Director (I/C), National Council for Educational Research and Training—Member

(v) Prof. Mrinal Miri, former Vice-Chancellor, North-Eastern Hill University—Member

(vi) Prof. A. K. Sharma, former Director, National Council for Educational Research and Training—Member

(vii) Prof. Poonam Batra, Faculty of Education, Central Institute of Education, University of Delhi—Member

(viii) Shri S. Sathyam, former Secretary, Government of India—Member

(ix) Shri Vikram Sahay, Director, Ministry of Human Resource Development, Government of India—Member Secretary.

3. The terms of reference of the Commission are as under :—

(a) whether in the context of the provisions of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, the regulations on Recognition Norms and Procedure for various teacher education courses, which are adopted by the National Council for Teacher Education are adequate or need review;

(b) whether further reforms are necessary to improve quality of teacher training and in service training;

(c) to review whether the regulations on Recognition Norms and Procedure, currently in force as laid down by the National Council for Teacher Education are being properly enforced; if not, to evolve a fair and transparent mechanism in which these norms and standards may be enforced;

(d) to review the existing practice of appointment of members to the National Council for Teacher Education and the Regional Committees of National Council for Teacher Education and recommend measures to ensure that a transparent process for appointments to the National Council for Teacher Education is followed, so that the National Council for Teacher Education is able to discharge its crucial role effectively;

(e) to evolve standards and norms for evaluating teacher performance and audit of teachers;

(f) to review whether the present provisions empowering withdrawal of recognition of institutions are adequate;

(g) to determine the methodology to examine/ enforce quality in teacher training institutions;

(h) to review whether that 291 institutions in the Western Region qualify to be recognised as Teacher Training Institutions.

4. The Commission would submit its report within a period of six months from the date of this notification.

5. The Commission shall be serviced by the National Council for Teacher Education (NCTE) and the Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India.

Dr. AMARJIT SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.